भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2627
जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2026/20 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

एलआईसी विकास अधिकारियों की सेवा शर्तें

2627. श्री संजय सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एलआईसी में कारबार प्रापण विकास अधिकारियों (श्रेणी-II), एबीएम, बीएम, एसबीएम, सीएम, एमएम, एसडीएम तथा आरएम सहित सभी विपणन अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के अंतर्गत नियुक्त विकास अधिकारी स्थायी कर्मचारी हैं, यदि हां, तो किन सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत केवल कारबार निष्पादन के आधार पर उनकी सेवा-समाप्त की जा सकती है अथवा उन्हें दंडित किया जा सकता है;

(ग) क्या 20-30 वर्षों से अधिक की सेवा वाले अनेक विकास अधिकारियों को समयबद्ध पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एबीएम से आरएम तक के लिए आधिकारिक वाहनों, ईंधन प्रतिपूर्ति, लैपटॉप तथा संबंधित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है, जिसमें पद-वार वार्षिक व्यय सम्मिलित है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)**:** कारबार प्रापण निगम के उन सभी कर्मचारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है**,** जो विपणन कार्य में तैनात हैं।

(ख)**:** विकास अधिकारी (डीओ) निगम के वेतनभोगी कर्मचारी हैं**,** जिन्हें संगठन के विपणन कार्यों के लिए भर्ती किया जाता है। सभी विकास अधिकारी अपने व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए समय-समय पर संशोधित भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा की कतिपय शर्तों और निबंधनों का संशोधन) नियम 2009 द्वारा शासित होते हैं। ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ वहां सुधारात्मक उपायों और हतोत्साहन का प्रावधान करते हैं जहां विकास अधिकारी निर्धारित व्यावसायिक मानदंडों के भीतर निष्पादन नहीं कर पाते है। वर्ष-दर-वर्ष व्यावसायिक प्रदर्शन में सुधार करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद**,** यदि विकास अधिकारी लगातार वर्षों में आवश्यक व्यवसाय प्राप्त नहीं कर पाते है तो इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त नियमों के नियम **7** के साथ पठित नियम 6(8) के तहत सेवा समाप्ति हो सकती है।

(ग): प्रशिक्षु विकास अधिकारी की भर्ती भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती) विनियम, 1999 द्वारा शासित होती है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, प्रशिक्षु विकास अधिकारियों को परिवीक्षा पर रखा जाता है और शाखा कार्यालय में तैनात किया जाता है। परिवीक्षाधीन विकास अधिकारी एजेंटों की भर्ती सहित निर्धारित व्यावसायिक मानदंडों को पूरा करने के बाद विकास अधिकारी के रूप में स्थायी किए जाते हैं।

एलआईसी (स्टाफ) नियम, 1960 के अनुसार, निगम ने श्रेणी I में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के संवर्ग में विकास अधिकारियों की सहायक शाखा प्रबंधक (एजेंसी) के रूप में पदोन्नति हेतु उपयुक्तता निर्धारित करने के मानदंड तैयार किए हैं। यह पदोन्नति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार की जाती है। वर्ष 2025-26 के पदोन्नति चक्र के दौरान, कुल 18,614 विकास अधिकारियों में से केवल 834 ने सहायक शाखा प्रबंधक (एजेंसी) के पद के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 334 उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए चुना गया था।

(घ): एबीएम से लेकर आरएम तक के लिए आधिकारिक वाहनों, ईंधन प्रतिपूर्ति और लैपटॉप का बिंदु-वार विवरण **अनुबंध-क, ख और ग** पर तथा वार्षिक व्यय का विवरण **अनुबंध-घ** में दिया गया है।

एलआईसी विकास अधिकारियों की सेवा शर्तें के संबंध में राज्य सभा, 11 अगस्त, 2026, अतारांकित प्रश्न संख्या 2627 के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध-क

अनुबंध – क

अधिकारिक वाहनों की वित्तीय सीमा का विवरण

श्रेणी	**प्रथम श्रेणी के विपणन अधिकारी का पदनाम**	**वित्तीय सीमा**
श्रेणी I (क)	सहायक शाखा प्रबंधक (एजेंसी) से शाखा प्रबंधक और विपणन क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी के संवर्ग तक के अन्य समान रूप से नियुक्त अधिकारी।	एक्स-शोरूम कीमत 11,25,000 रुपये
श्रेणी I (ख)	सहायक मंडल प्रबंधक के संवर्ग में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, प्रबंधक (एजेंसी) और विपणन क्षेत्र में सहायक मंडल प्रबंधक के संवर्ग तक अन्य समान रूप से नियुक्त अधिकारी	एक्स-शोरूम कीमत 13,20,000 रुपये
श्रेणी II	विपणन क्षेत्र में मंडल प्रबंधक, प्रभारी वरिष्ठ/मंडल प्रबंधक और वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के संवर्ग तक अन्य समान रूप से नियुक्त अधिकारी	एक्स-शोरूम कीमत 15,40,000 रुपये
श्रेणी III	अंचल प्रबंधक और उससे ऊपर	एक्स-शोरूम कीमत 18,70,000 रुपये

अनुबंध -ख

एलआईसी विकास अधिकारियों की सेवा शर्तें के संबंध में राज्य सभा, 11 अगस्त, 2026, अतारांकित प्रश्न संख्या 2627 के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध- ख

ईंधन प्रतिपूर्ति सीमा का विवरण

समूह	**सामान्य सीमाएँ (किलोमीटर में)**	**अतिरिक्त सीमाएं (किलोमीटर में)**	**सक्षम प्राधिकारी**
शाखा कार्यालय के विपणन अधिकारी	3000	1000	प्रभारी वरिष्ठ/मंडलीय प्रबंधक
मंडल और क्षेत्रीय कार्यालय के विपणन अधिकारी	2000	2000	प्रभारी वरिष्ठ/मंडल प्रबंधक /प्रभारी जोनल प्रबंधक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
केंद्रीय कार्यालय के विपणन अधिकारी	2000	2000	प्रबंध निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अनुबंध -ग

एलआईसी विकास अधिकारियों की सेवा शर्तें के संबंध में राज्य सभा, 11 अगस्त, 2026, अतारांकित प्रश्न संख्या 2627 के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध- ग

लैपटॉप लागत की प्रतिपूर्ति सीमा का विवरण

पात्र क्लास I विपणन अधिकारी	**खर्च की सीमा**
एसडीएम, आरएम और उससे ऊपर के कैडर के अधिकारी	रु. 85,000
एबीएम से डीएम कैडर तक पात्र क्लास **I** के विपणन अधिकारी	रु. 50,000

अनुबंध -घ

एलआईसी विकास अधिकारियों की सेवा शर्तें के संबंध में राज्य सभा, 11 अगस्त, 2026, अतारांकित प्रश्न संख्या 2627 के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध- घ

व्यय विवरण - योजना VI वाहन और लैपटॉप

संवर्ग	**दिनांक 31.03.2026 तक मौजूदा स्कीम VI (आर) वाहनों की संख्या**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान किए गए माइलेज खर्च रु.**	**अधिकारियों की संख्या जिन्होंने लैपटॉप का लाभ उठाया**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उक्त योजना के तहत लैपटॉप पर खर्च रु.**
एबीएम(क)	1512	15,48,81,034	365	1,81,87,518
बीएम(क)	3495	39,98,61,548	359	1,80,54,662
एसबीएम	1630	18,17,30,248	160	81,82,416
सीएम	500	5,53,38,922	49	25,18,928
एसडीएम	343	2,82,97,222	74	60,64,278
जेडएम (ओ)	74	74,12,439	15	11,40,102
कुल	7554	67,26,40,379	1022	5,11,47,904
